कार्यालयः सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल)।

पत्रांक : उ0वि0शि0प0/यू0टी0ई0टी0 2017/ 451 /2017–18 दिनांक 27 अक्टूबर 2017।

:: उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय (UTET-I & II) 2017
अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/अनर्ह अभ्यर्थियों के संबंध में निर्देश ::

परिषद् द्वारा उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय **(UTET-I & II) 2017** हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा इस परीक्षा हेतु भरे गए आवेदनपत्र **(OMR)** की स्केनिंग कर उसके आधार पर प्राप्त त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण अथवा निर्धारित शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता पूर्ण न करने वाले अभ्यर्थियों की सूची **अंतिम रूप से अभ्यर्थन निरस्त करने से पूर्व अभ्यर्थियों को त्रुटियों/कमियों कों दूर करने/सुधार करने का एक अवसर प्रदान करने के दृष्टिगत प्रसारित की जा रही है।**

यदि किसी अभ्यर्थी/आवेदक को परिषद् द्वारा जारी की गई अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची पर कोई आपत्ति हो या वे अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हों, तो वे दिनांक 7 नवम्बर 2017, सांय 5:00 बजे तक पंजीकृत/स्पीड पोस्ट अथवा स्वंय उपस्थित होकर सप्रमाण अपना पक्ष/प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रत्यावेदन देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वे निर्धारित अर्हता पूरी करते हो। अर्हता के संबंध में विस्तृत निर्देश उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा – प्रथम एवं द्वितीय 2017 की विवरणिका पुस्तिका में दिए गए है। अभ्यर्थियों के सुलभ संदर्भ हेतु अर्हता संबंधी एन0सी0टी0ई0 के मानक भी परिषद् की वेबसाइट में दिए गए है। **त्रुटियों/कमियों कों दूर करने/सुधारने हेतु दोनों परीक्षाओं हेतु पृथक–पृथक विस्तृत निर्देश संलग्न है।**

प्रत्यावेदन में अभ्यर्थियों अपने आवेदनपत्र **(OMR)** का क्रमांक अनिवार्यतः अंकित करेंगे, अन्यथा प्रत्यावेदन पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। **प्रत्यावेदन देने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा समयान्तर्गत प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।**

प्रत्यावेदन निस्तारण के बाद समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र माह नवम्बर 2017 अंतिम सप्ताह में परिषद की वेबसाइट **www.ubse.uk.gov.in में DEPARTMENTAL EXAM/UTET लिंक पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे।** डाक द्वारा प्रवेश–पत्र प्रेषित नहीं किये जाएगे। परीक्षा हेतु अर्ह समस्त अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। प्रवेशपत्र आवेदनपत्र **(OMR)** क्रमांक **अथवा** अभ्यर्थी अपने नाम एवं जन्मतिथि अंकित कर डाउनलोड करेंगे।

27/X/17

(वी0पी0 सिमल्टी)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर, नैनीताल।

1. यू0टी0ई0टी0 – प्रथम (UTET-I) 2017

अध्यापक पात्रता परीक्षा – प्रथम (UTET- I) 2017 से संबंधित अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/अनर्ह अभ्यर्थियों सूची में जिन अभ्यर्थियों के नाम अंकित है वे उनके लिए विस्तृत निर्देश निम्नवत हैं—

- जिन अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख **"निर्धारित मूल्य से कम मूल्य के आवेदन पत्र पर आवेदन"** का उल्लेख किया गया है, उन अभ्यर्थियों द्वारा **अनु0जाति/अनु0जन जाति या विकलांगता का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र** उपलब्ध कराने पर, अन्य निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने की दशा में ही उनके अभ्यर्थन पर विचार किया जाएगा, अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- जिन अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख **"शुल्क केवल एक परीक्षा हेतु किन्तु 2 परीक्षाओं हेतु आवेदन"** का उल्लेख किया गया है, उन अभ्यर्थियों द्वारा **लिखित आवेदन** कि, वे कौन सी एक परीक्षा (यू0टी0ई0टी0 प्रथम अथवा द्वितीय) में सम्मिलित होना चाहते है, के आधार पर अन्य निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने की दशा में ही उनके अभ्यर्थन पर विचार किया जाएगा, अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- जिन अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख **"प्रशिक्षण योग्यता अंकित नहीं/त्रुटिपूर्ण अंकित"** का उल्लेख किया गया है, उन अभ्यर्थियों द्वारा **प्रशिक्षण योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र** उपलब्ध कराने पर यदि यह पाया जाता है कि वे अभ्यर्थन हेतु अन्य निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने की दशा में ही उनके अभ्यर्थन पर विचार किया जाएगा, अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- जिन बी0टी0सी0/डी0एल0एड0 योग्यताधारी अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख **"इण्टर स्तर पर अंक प्रतिशत कम एवं स्नातक/प्रशिक्षण वर्ष अंकित नहीं/त्रुटिपूर्ण है"** का उल्लेख किया गया है, यदि उनका इण्टर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत 50 से अधिक है अथवा उनके द्वारा स्नातक योग्यता के आधार पर प्रशिक्षण योग्यता अर्जित की गई है, तो उनके द्वारा तत् संबंधी **परीक्षा (इंटर, स्नातक एवं प्रशिक्षण) का अंतिम वर्ष का अंक पत्र** उपलब्ध कराने पर अभ्यर्थन हेतु अन्य निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने की दशा में ही उनके अभ्यर्थन पर विचार किया जाएगा, अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- जिन बी0एल0एड0/शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) डी0एड0 योग्यताधारी अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख **"इण्टर स्तर पर अंक प्रतिशत कम"** का उल्लेख किया गया है, यदि उनका इण्टर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत 50 से अधिक है तो उनके द्वारा **इण्टर परीक्षा का अंक पत्र** उपलब्ध कराने पर, अभ्यर्थन हेतु अन्य निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने की दशा में ही उनके अभ्यर्थन पर विचार किया जाएगा, अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

विज्ञ हों यू0टी0ई0टी0 प्रथम परीक्षा 2017 हेतु केवल बी0टी0सी0/डी0एल0एड0/बी0एल0एड0/ शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यर्थी ही अर्ह हैं। आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों को नियमानुसार अर्हक अंकों में 5 प्रतिशत की छूट देय होगी।

(हस्ताक्षर) 27/11/17
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर, नैनीताल।

यू0टी0ई0टी0 – द्वितीय (UTET-II) 2017

अध्यापक पात्रता परीक्षा – द्वितीय (UTET- II) 2017 से संबंधित अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/अनर्ह अभ्यर्थियों सूची में जिन अभ्यर्थियों के नाम अंकित है वे उनके लिए विस्तृत निर्देश निम्नवत हैं–

- जिन अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख **"निर्धारित मूल्य से कम मूल्य के आवेदन पत्र पर आवेदन"** का उल्लेख किया गया है, उन अभ्यर्थियों द्वारा **अनु0जाति/अनु0जनजाति या विकलांगता का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र** उपलब्ध कराने पर, अन्य निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने की दशा में ही उनके अभ्यर्थन पर विचार किया जाएगा, अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- जिन अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख **"शुल्क केवल एक परीक्षा हेतु किन्तु 2 परीक्षाओं हेतु आवेदन"** का उल्लेख किया गया है, उन अभ्यर्थियों द्वारा **लिखित आवेदन** कि, वे कौन सी एक परीक्षा (यू0टी0ई0टी0 प्रथम अथवा द्वितीय) में सम्मिलित होना चाहते है, के आधार पर अन्य निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने की दशा में ही उनके अभ्यर्थन पर विचार किया जाएगा, अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- जिन अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख **"प्रशिक्षण योग्यता अंकित नहीं/त्रुटिपूर्ण अंकित"** का उल्लेख किया गया है, उन अभ्यर्थियों द्वारा **प्रशिक्षण योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र** उपलब्ध कराने पर यदि यह पाया जाता है कि वे अभ्यर्थन हेतु अन्य निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने की दशा में ही उनके अभ्यर्थन पर विचार किया जाएगा, अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- जिन बी0एल0एड0 अथवा बी0ए0/बी0एस0सी0एड0 अथवा बी0ए0एड0/बी0एस0सी0एड0 योग्यताधारी अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख **"इण्टर स्तर पर अंक प्रतिशत कम"** का उल्लेख किया गया है, यदि उनका इण्टर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत 50 से अधिक है तो उनके द्वारा **इण्टर परीक्षा का अंक पत्र** उपलब्ध कराने पर, अभ्यर्थन हेतु अन्य निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने की दशा में ही उनके अभ्यर्थन पर विचार किया जाएगा, अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- जिन बी0एड0 (विशेष शिक्षा) योग्यताधारी अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख **"स्नातक स्तर पर अंक प्रतिशत कम"** का उल्लेख किया गया है, यदि उनका स्नातक स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत 50 से अधिक है तो उनके द्वारा **स्नातक परीक्षा अंतिम वर्ष का अंक पत्र** उपलब्ध कराने पर, अभ्यर्थन हेतु अन्य निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने की दशा में ही उनके अभ्यर्थन पर विचार किया जाएगा, अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- जिन अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख **" स्नातक स्तर पर अंक प्रतिशत कम/अंकित नहीं/प्रशिक्षण वर्ष अंकित नहीं"** का उल्लेख किया गया है, उनके द्वारा **स्नातक परीक्षा अंतिम वर्ष एवं प्रशिक्षण परीक्षा का अंक पत्र** उपलब्ध कराने पर, अभ्यर्थन हेतु अन्य निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने की दशा में ही उनके अभ्यर्थन पर विचार किया जाएगा, अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- जिन अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख **" स्नातक स्तर पर अंक प्रतिशत कम एवं स्नातकोत्तर वर्ष अंकित नहीं"** का उल्लेख किया गया है, उनके द्वारा **स्नातकोत्तर परीक्षा अंतिम वर्ष का अंक पत्र** उपलब्ध कराने पर, अभ्यर्थन हेतु अन्य निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने की दशा में ही उनके अभ्यर्थन पर विचार किया जाएगा, अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

23/x/17

- जिन अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख " **स्नातक स्तर अंक प्रतिशत अंकित नहीं**" का उल्लेख किया गया है, उनके द्वारा **स्नातक परीक्षा अंतिम वर्ष का अंक पत्र** उपलब्ध कराने पर, अभ्यर्थन हेतु अन्य निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने की दशा में ही उनके अभ्यर्थन पर विचार किया जाएगा, अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- जिन अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख " **स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर अंक प्रतिशत कम**" का उल्लेख किया गया है, यदि उनका स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत 50 से अधिक है तो उनके द्वारा **स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा अंतिम वर्ष का अंक पत्र** उपलब्ध कराने पर, अभ्यर्थन हेतु अन्य निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने की दशा में ही उनके अभ्यर्थन पर विचार किया जाएगा, अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

विज्ञ हों कि वर्ष 2007 से अध्यावधि तक स्नातकोत्तर आधार पर बी0एड0/एल0टी0/ शिक्षा शास्त्री योग्यताधारी आवेदकों को स्नातकोत्तरयोग्यता का लाभ उसी स्थिति में देय होगा जब कि उनके द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षण योग्यता अर्जित की गई हो। आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों को नियमानुसार अर्हक अंकों में 5 प्रतिशत की छूट देय होगी।

27/4/17

सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्

रामनगर, नैनीताल।

Uttarakhand Bord of School Education RamNagar, Nainital

अध्यापक पात्रता परीक्षा – द्वितीय (UTET - II Exam) 2017

निरस्त किए गए आवेदनों की सूची

SN	Appl. (OMR) No.	C. Name	F. Name	आवेदन निरस्त करने का कारण
1	319417	SATYENDRA BHARATI	ASHA LAL	अपूर्ण
2	616347	SUDHEER KUMAR		अपूर्ण

27/10/17